न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 122/2016

1. परमजीतकौर पुत्री लाभसिंह पत्नी गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
2. सिमरजीतकौर पुत्री लाभसिंह पत्नी संतासिंह जाति जटसिख निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर । — अपीलार्थीगण

बनाम

1. लाभसिंह पुत्र मुंशीसिंह जाति जटसिख निवासी गरदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
2. जसपालसिंह पुत्र लाभसिंह जाति जटसिख निवासी गरदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
3. तहसीलदार राजस्व सादुलशहर । —रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सादुलशहर
दिनांक 26.08.2016 ।

उपस्थितिः—

श्री रामप्रकाश गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट
श्री कुलवंतसिंह संधु, अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 व 2
श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 25.09.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष रा.का.अ. की

25/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

धारा 53, 188 का मुंशीसिंह के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए पेश कर कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 के दादा व प्रतिवादी सं.1 के पिता मुंशीसिंह के नाम से चक 23 के एस डी के खाता सं. 9 मु.न. 44, 45, 46, 69, 70, 71 में कुल 71 बीघा में से 355 हिस्सा, खाता सं. 35 मु.न. 6 , 12, 13, 17, 18, 29, 30, 34, 35 में 81.08 बीघा में से 20.07 बीघा खातेदारी दर्ज है। मुन्शीसिंह की मृत्यु के बाद उसकी उपरोक्त आराजी विरासतन उसके तीन पुत्रों लाभसिंह, जुगराजसिंह व गुरनामसिंह को प्राप्त हुई । लाभासिंह को प्राप्त आराजी पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। लाभसिंह के नाम से 1.808 है. भूमि दर्ज हुई जिसमें से उसने दिनांक 5.03.2013 को 1.075 है. भूमि दानपत्र प्रतिवादी सं.2 के नाम कर दी एवं मौका पर लाभसिंह के नाम 0.733 है व जसपालसिंह के नाम 1.075 है. दर्ज है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 23 एसडी के खाता सं. 24/21 की 1.808 है व खाता सं. 91/85 की 2.088 है. कुल 3.896 है. भूमि उसे अपने पिता से बंटवारा में प्राप्त हुई है जो पैतृक सम्पति की परिभाषा में आती है। जिसमें लाभसिंह व उसके पुत्र पुत्रियों का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वादीगण के हक व हिस्सा की की खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से लाभ उठा रहें है एवं आराजी को आगे हस्तान्तरण करने की धमकी दे रहें है। अतः निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए वाद पत्र के अनुतोष की मद सं. क से ग अनुसार डिक्री किया जावें ।

प्रतिवादी सं.1 से ने जबाव दावा पेश कर वाद को खारिज करने का निवेदन किया कि ।

प्रतिवादीगण ने दिनांक 01.02.2016 को एक प्रा.पत्र धारा 10 व आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर कथन किया कि उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में एक वाद जिला एवं सेशन न्यायालय श्रीगंगानगर के समक्ष

25/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विचाराधीन है इसलिए यह वाद चलने योग्य नहीं है। अतः प्रा.पत्र स्वीकार उक्त प्रकरण में कार्यवाही स्थगित रखी जावें । उक्त प्रा.पत्र का जबाव वादीगण ने पेश कर प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

अधी.न्यायालय ने सुनवाई करने के बाद दिनांक 26.08.2016 को प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए वाद वादीगण खारिज का दिया । जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वाद पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपने दावा में निवेदन किया कि तमाम भूमि में दोनों बहिनों का 1/4 हिस्सा बनता है लेकिन बिना बंटवारा कराये लाभसिंह को भूमि दान करने का कोई अधिकार नहीं था । प्रतिवादीगण ने अधी.न्यायालय में प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया जिसका जबाव वादीगण ने दिया था लेकिन अधी.न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रा.पत्र स्वीकार कर वाद को खारिज कर दिया जो कि उचित नहीं है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें । अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने ए आई आर 2016 कर्नाटका पेज 4, आरआरडी 2009 पेज 244 की नजीरें पेश की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण द्वारा अधी.न्यायालय में वाद पेश किया जिसका जबाव प्रतिवादी ने पेश किया । वाद में प्रतिवादीगण ने आदेश 7 नियम 11 का प्रा.पत्र पेश किया जिसका जबाव वादीगण ने पेश किया । चूंकि विवादित भूमि के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है जिससे अपीलांट ने इन्कार नहीं किया हैं ऐसी स्थिति में दो वाद चलने योग्य नहीं होने से अधी.न्यायालय ने

25/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रा.पत्र स्वीकार कर वाद को खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावें ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर द्वारा निर्णित प्रकरण पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सीपीसी की धारा 10 का निर्णय दिनांक 26.08.2016 के विरूद्ध पेश हुई है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम में संशोधन की व्याख्या पर है। मूल Act हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 4 विलोपित होकर धारा 6 की जगह नई धारा 6 प्रस्तावित की है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 Principal Act की धारा 6 की Bare–reading है कि Devolution of interest in coparcenary property.-

(1) On and from the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005, in a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a coparcener shall,-

(a) by birth become a coparcener in her own right in the same manner as the son;

(b) have the same rights in the coparcenary property as she would have had if she had been a son;

(c) be subject to the same liabilities in respect of the said coparcenary property as that of a son, and any reference to a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener:

Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December, 2004

25/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(2) Any property to which a female Hindu becomes entitled by virtue of sub-section (1) shall be held by her with the incidents of coparcenary ownership and shall be regarded, notwithstanding anything contained in this Act, or any other law for the time being in force, as property capable of being disposed of by her by testamentary disposition.

(3) Where a Hindu dies after the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005, his interest in the property of a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, shall devolve by testamentary or intestate succession, as the case may be, under this Act and not by survivorship, and the coparcenary property shall be deemed to have been divided as if a partition had taken place and,-

(a) the daughter is allotted the same share as is allotted to a son;

(b) the share of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter, as they would have got had they been alive at the time of partition, shall be allotted to the surviving child of such pre-deceased son or of such pre-deceased daughter; and

(c) the share of the pre-deceased child of a pre-deceased son or of a pre-deceased daughter, as such child would have got had he or she been alive at the time of the partition, shall be allotted to the child of such pre-deceased child of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter, as the case may be,

Explanation.- For the purposes of this sub-section, the interest of a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to be the share in the property that would have been allotted to him if a partition of

25/9/17 अधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

the property had taken place immediately before his death, irrespective of whether he was entitled to claim partition or not.

(4) After the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005, no court shall recognise any right to proceed against a son, grandson or great-grandson for the recovery of any debt due from his father, grandfather or great-grandfather solely on the ground of the pious obligation under the Hindu law, of such son, grandson or great-grandson to discharge any such debt:

Provided that in the case of any debt contracted before the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005, nothing contained in this sub-section shall affect-

(a) the right of any creditor to proceed against the son, grandson or great-grandson, as the case may be; or

(b) any alienation made in respect of or in satisfaction of, any such debt, and any such right or alienation shall be enforceable under the rule of pious obligation in the same manner and to the same extent as it would have been enforceable as if the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 had not been enacted.

Explanation.-For the purposes of clause (a), the expression "son", "grandson" or "great-grandson" shall be deemed to refer to the son, grandson or great-grandson, as the case may be, who was born or adopted prior to the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005.

(5) Nothing contained in this section shall apply to a partition, which has been effected before the 20th day of December, 2004.

25/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

Explanation.- For the purposes of this section "partition" means any partition made by execution of a deed of partition duly registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) or partition effected by a decree of a court.

सार रूप में हिन्दु उतराधिकार मिताक्षर सिद्धान्त अनुसार मृत्यु उपरान्त उसकी co-parcenary property के devolve के प्रावधान दिये गये है। जिसे संशेधान नं. 39 of 2005 दिनांक 05.09.2005 द्वारा संशोधित धारा 6 substitute की गई है जिसकी bare reading है कि Devolution of interest of coparcenary properor :- When a male Hindu dies after the commencement of this Act, having at the time of his death an interest in a Mitakshara coparcenary property, his interest in the property shall devolve by survivorship upon the surviving members of the coparcenary and not in accordance with this Act: PROVIDED that, if the deceased had left him surviving a female relative specified in class I of the Schedule or a male relative specified in that class who claims through such female relative, the interest of the deceased in the Mitakshara coparcenary property shall devolve by testamentary or intestate succession, as the case may be, under this Act and not by survivorship. Explanation 1: For the purposes of this section, the interest of a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to be the share in the property that would have been allotted to him if a partition of the property had taken place immediately before his death, irrespective of whether he was entitled to claim partition or not. Explanation 2: Nothing contained in the proviso to this section

25/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

shall be construed as enabling a person who has separated himself from the coparcenary before the death of the deceased or any of his heir claim on intestacy a share in the interest referred to therein. अर्थात हिन्दु उतराधिकार मिताक्षर सिद्धान्त अनुसार संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति में बेटियों को अधिकार दिये हैं जो Repealing and Amendment Act 2015 संख्या 17/2015 दिनांक 13.05.2015 द्वारा जिस अनुसूचि प्रथम में जिन Amendment का संशोधित /विलोपित किया है उनमें The Hindu Succession (Amendment Act) 2005 को The whole repealed है अर्थात दिनांक 13.052015 से पुनः principle अधिनियम के प्रावधान प्रभावी है जिसमें हिन्दु उतराधिकार मिताक्षर सिद्धान्त अनुसार मृत्यु उपरान्त उसकी co-parcenary property के devolve के प्रावधान है।

उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस में अभिभाषक अपीलांट द्वारा Repeal and Amendment Act 2015 का तात्पर्य हिन्दु उतराधिकार अधिनियम में पुत्रियों के हक हकूकों को कही खत्म नहीं किया जाहिर किया। अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्याय सिद्धांत एआईआर कनार्टका 4 श्रीमती लोकमणी एवं अन्य बनाम श्रीमती महादेवाम्मा Regular First Appeal no. 58/2014 निर्णित दिनांक 07.09.2015 पेश की जिसमें hold किया है कि Effect of repael of Hindu Succession (Amendment) Act, 2005: In the result, the amendment made to the Hindu Succession Act, 1956 by Hindu Succession (Amendment) Act, 2005, where under the daughters are also given rights on par with sons in the coparcenary property, has not vanished as a consequence of repealing of the said Amendment Act by

25/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

Repealingh and Amendment Act' 2015 (Act No. 17 of 2015- Published in Gazette of India, did. 13-5-2015). The position under the Hindu Succession Act as effected by the said Amendment Act would remain the same as it was before the repeal of the said amendment Act unless the Parliament alters it or the courts declare in future the amendment as ultra vires.

(A) Hindu Succession Act (30 of 1956) S. 6(as amended by Hindu Succession Act of 2005) -- Repealing and Amending Act (17 of 2015) , Ss. 2, 4 - Equal rights daughter in co-parcenary property- Amending Act of 2005 conferring such right repealed by Act of 2015- Effect of repeal- It does not wipe out the amendment-- It is only case of regislative spring- cleaning and not intended to make such change in law- Rights conrdrred and daughter not taken away.

32. The Repealing and Amending Act, 2015 which repeals the Hindu Succession (Amendment)Act, 2005 in whole, therefore, does not wipe out the amendment to Section 6 from the Hindu Succession Act. The existence of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 since became superfluous and did not serve any purpose and might lead to confusion, the Parliament in its wisdom thought of repealing the said Amendment Act. It is only a case of legislative spring- cleaning, and not intended to make any change in law.

25/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

33. The amended Section 6 has already been substituted in the Hindu Succession Act, 1956 as if it was in the enactment from its inception. When the amending provision takes the place of the earlier provision, the object of the Amendment Act is fulfilled and thereafter the Amendment Act serves no purpose. Therefore, such an Amendment Act requires to be repealed and that is what has been precisely done by Act No. 17/2015. Acordingly, Point No. 1 is answered in the negative.

न्याय सिद्धान्त आरआरडी 2009 पेज 244 रिविजन सं. 2763/08 बीकानेर रमनलाल बनाम दीपाराम निर्णित दिनांक 03.11.2008 पेश किया जिसके पैरा सं. 9 से 11 में held किया है कि Code of Civil Procedure, Order 7, Rule 11- Revision against order of S.D.O. - Held, suit cannot be dismissed without considering the facts mentioned in the suit under Order 7 Rule 11- Trial court should have passed the order after looking to the facts and legal objections mentioned in pleadings of both the parties and framing issues and taking evidence- It is justified to pass the order after hearing the arguments- At the present stage there is no legal error in the order or the trial court - No interference is required.

अभिभाषक रेस्पो. द्वारा प्रकरण हाजा से सम्बन्धित वाद सिविल न्यायालय में लम्बित होना बताया है। अतः सीपीसी की धारा 10 के प्रावधान Invoke होकर राजस्व न्यायालय में वाद की कार्यवाही stay योग्य है । अतः अधी.न्यायालय में रेस्पो. द्वारा सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के साथ धारा

25/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज)

10 का भी प्रार्थना पत्र दिया जो स्वीकार किया जो सही किया है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया ।

उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया प्रस्तुत न्याय सिद्धान्तों का अध्ययन एवं पत्रावली पर उपलबध तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए इस न्यायालय का मत है कि प्रकरण हाजा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार प्रकरण निस्तारित किया जाना उचित है । जिसका उद्वरण उपर दिया गया है तथा अधी.न्यायालय का सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के प्रा.पत्र के निर्णय में The repealling and amendment Act 2015 की सही विधिक व्याख्या कर निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

25/9/17
(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

1. परमजीतकौर पुत्री लाभसिंह पत्नी गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. सिमरजीतकौर पुत्री लाभसिंह पत्नी संतासिंह जाति जटसिख निवासी खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। -- अपीलार्थीगण

बनाम

1. लाभसिंह पुत्र मुशीसिंह जाति जटसिख निवासी गरदरखेडा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. जसपालसिंह पुत्र लाभसिंह जाति जटसिख निवासी गरदरखेडा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. तहसीलदार राजस्व सादुलशहर। --रेस्पोडेन्टान

अपील संख्या 122/2016 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सादुलशहर मुर्ख्ख 26 माह 08 सन् 2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 25 माह 09 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री रामप्रकाश गुप्ता अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री कुलवन्त सिह संधु अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 व 2 एवं श्री इकबाल सिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग .. X ......) रूपये.. X अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .. X ..... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 25.09.2017 जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर